[2019] 14 एस. सी. आर. 579

केंद्रीय आयोग, हल्दिया के आयुक्त

वी.

एम/एस। कृष्णा वैक्स (पी) लिमिटेड।

(2019 की सिविल अपील संख्या 8609)

नवंबर 14,2019

[उदय उमेश ललित और वाइन सरन, जे. जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944-एस। 3 , 4 , 6 , 11 ए और 35 एल-पंजीकृत कार्यालय और कारखाने के परिसर में तलाशी ली गई। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के अधिकारियों द्वारा उत्तरदाता

इस आधार पर कि प्रतिवादी ने अनिवार्य प्रक्रिया और समाशोधन का पालन किए बिना पैर का तेल, दबा हुआ मोम आदि का निर्माण किया

उत्पाद शुल्क-अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थी द्वारा दायर लिखित याचिका जिसमें आपत्ति जताई गई है कि विभाग को इस मामले में आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है कोई विनिर्माण गतिविधि नहीं की गई-निर्णय लेने की दिशा

प्रारंभिक आपत्ति पहले-केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, हल्दिया के कार्यालय द्वारा जारी कारण बताएँ नोटिस, अन्य बातों के साथ-साथ

यह कहते हुए कि प्रारंभिक आपत्ति पर विचार करने के बाद, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त ने मामले में आगे बढ़ने का फैसला किया और प्रतिवादी से कारण बताने के लिए कहा कि नोटिस में निर्दिष्ट राशि की मांग क्यों नहीं की जाए -

प्रत्यर्थी ने रिट याचिका दायर करते हुए कहा कि नोटिस जारी किया गया था

प्रारंभिक आपत्ति का निर्णय लिए बिना-प्रस्तुत करने का निर्देश

जिसके द्वारा प्रारंभिक आपत्ति का निर्णय लिया गया था-प्रस्तुत - प्रतिवादी ने उक्त आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की-अपील

अनुमति-अपीलार्थी ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की-खारिज कर दिया गया

- आयोजित किया गयाः प्रत्यर्थी ने खुद को पंजीकृत नहीं किया था और जो उत्पाद वह बना रहा था उस पर कोई उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं कर रहा था-की गई तलाशी से कुछ सामग्री की बरामदगी हुई जिसके आधार पर विभाग मामले पर विचार कर रहा था-उस स्तर पर, रिट याचिका में आदेश पारित किया गया था जिसमें अपीलार्थी को यह तय करने का निर्देश दिया गया था कि क्या विभाग ने प्रारंभिक आपत्ति की थी।

गुण-दोष के आधार पर किसी अन्य मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले मामले में आगे बढ़ने की अधिकारिता- अधिनियम के प्रावधान इस तरह के किसी भी प्रथम दृष्टया निर्धारण पर विचार नहीं करते हैं और इस तरह के निर्धारण की प्रति संबंधित व्यक्ति को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और केवल

इसके बाद मामले में आगे बढ़ना-केवल इसलिए कि आंतरिक

आदेश प्रत्यर्थी को सूचित किया गया था, यह उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण नहीं देगा -

आंतरिक आदेश का संचार केवल उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के पालन में था-विभाग ने अपने दम पर आंतरिक आदेश को संप्रेषित नहीं करने में न्यायसंगत ठहराया-यह कोई निर्णय नहीं था

या दृढ़ संकल्प जो एस के संदर्भ में आया था। 11 ए (10) इसलिए प्रतिवादी उक्त आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकता था-अपीलीय प्राधिकरण और न्यायाधिकरण करने में विफल रहे

नोटिस को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाए-प्रतिवादी को तीन सप्ताह के भीतर उक्त कारण बताएँ नोटिस का जवाब देने का अधिकार है। इस निर्णय की तारीख और अपने मामले के समर्थन में ऐसी सामग्री रखने का भी हकदार है, जिस पर वह भरोसा करना चाहता है-इसके बाद मामले को कानून-भारत के संविधान-- उत्पाद शुल्क के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 - s.11A-योजना-चर्चा की गई। भारत का संविधान-कला। 226 - के अधीन अधिकारिता, में

आबकारी कानून से संबंधित मामले-आयोजितः आबकारी कानून अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और रिट याचिका पर आम तौर पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

केवल कारण दर्शाने का नोटिस जारी करने के खिलाफ-चिंतित व्यक्ति

सबसे पहले उस प्राधिकरण के समक्ष सभी आपत्तियां उठानी चाहिए जिसने कारण बताएँ नोटिस जारी किया है और कानून के मौजूदा प्रावधानों के संदर्भ में निवारण का सहारा लिया जा सकता है यदि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित किया गया था।

उत्पाद शुल्क।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी ने नहीं किया था

यह तय करें कि क्या विभाग के पास आगे बढ़ने का अधिकार क्षेत्र था गुण-दोष के आधार पर किसी अन्य मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले का मामला।

अधिनियम के प्रावधानों में इस तरह के किसी भी प्रथम दृष्टया निर्धारण पर विचार नहीं किया गया है और यह आवश्यक है कि इस तरह के निर्धारण की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को प्रस्तुत की जाए और केवल इसके बाद मामले में आगे बढ़ना। फिर भी, चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था, इसलिए विभाग ने इस तरह के निर्देश के सम्मान में मामले पर विचार किया और 15.03.2006 दिनांकित एक आंतरिक आदेश द्वारा प्रथम दृष्टया एक राय दर्ज की कि अधिनियम के तहत अधिकारियों को मामले में आगे बढ़ने का अधिकार क्षेत्र था। चूँकि अधिनियम के प्रावधान किसी भी प्रथम दृष्टया निर्धारण पर विचार नहीं करते हैं जिसे सूचित किया जाना चाहिए

संबंधित व्यक्ति, विभाग को अपने दम पर आंतरिक आदेश को संप्रेषित नहीं करने में उचित ठहराया गया था। अगले अवसर पर उच्च न्यायालय द्वारा मामले का सही आकलन किया गया था जब आंतरिक आदेश की एक प्रति प्रदान करने का निर्देश देने के बावजूद, उसने स्वीकार किया कि प्रतिवादी का उपाय कारण बताएँ नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने में झूठ बोला गया था, जिसमें जवाब में प्रतिवादी के लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए अपीलकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर आपत्तियां लेने के लिए खुला होगा। केवल इसलिए कि आंतरिक आदेश प्रत्यर्थी को सूचित किया गया था, यह प्रत्यर्थी को उक्त आंतरिक आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण नहीं देगा। उक्त आंतरिक आदेश का संचार केवल उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के पालन में था। यह कोई निर्णय या निर्धारण नहीं था जो धारा 11 ए की उप-धारा 10 के संदर्भ में किया गया था। इसलिए प्रतिवादी दिनांकित उक्त आंतरिक आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकता था।

15.03.2006 . अपीलीय प्राधिकरण के साथ-साथ न्यायाधिकरण इस बुनियादी अंतर को समझने में पूरी तरह विफल रहा। जबकि अधिनियम की धारा 11 ए के तहत कारण बताएँ नोटिस जारी करना, जिस पर विभाग द्वारा विचार किया जाता है, वह केवल एक प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण है।

जिसके आधार पर कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया जाता है। द. निर्धारण केवल प्रतिक्रिया या प्रतिनिधित्व के बाद आता है

जिस व्यक्ति को कारण बताए जाने का नोटिस दिया जाता है, उसे प्राथमिकता दी जाती है। अपनी प्रतिक्रिया के एक भाग के रूप में, संबंधित व्यक्ति सभी संभावित मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकता है और उसके बाद ही दृढ़ संकल्प या निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। वर्तमान मामले में

इससे पहले कि प्रतिवादी द्वारा जवाब दिया जा सके और निर्धारण पर पहुंचा जा सके, उक्त आंतरिक आदेश के खिलाफ अपील में मामला उठाया गया था। इसलिए अपीलार्थी, [2019] 14 एस. सी. आर. था।

यह प्रस्तुत करना उचित था कि अपील स्वयं पूर्व-परिपक्व थी। [पारस 9-11] [594-G-H; 595-A-H; 596-A]

1.2 आबकारी कानून अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और आम तौर पर एक रिट कोर्ट के लिए इस पर विचार करना उचित नहीं होगा।

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका और यह कि संबंधित व्यक्ति को पहले उस प्राधिकरण के समक्ष सभी आपत्तियां उठानी चाहिए जिसने कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया था और कानून के मौजूदा प्रावधानों के संदर्भ में निवारण का सहारा लिया जा सकता है यदि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित किया गया था। सामान्य तौर पर केवल कारण बताएँ नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में कोई कारणदर्शक नोटिस भी जारी नहीं किया गया था जब उच्च न्यायालय ने शुरू में

याचिका पर विचार किया गया और विभाग को प्रथम दृष्टया इस बात पर विचार करने का निर्देश दिया कि क्या मामले को आगे बढ़ाने के लिए कोई सामग्री है। [पैरा 12] [596-बी-सी-एफ]

कारण दिखाएँ नोटिस से परे। मामले में प्रश्न इस दृष्टिकोण की शुद्धता से संबंधित थे कि क्या मामले में कोई निर्णय था और क्या प्रत्यर्थी के कहने पर अपील बनाए रखने योग्य थी। इस मामले में शामिल मुद्दे वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (न्यायिक प्रकोष्ठ) द्वारा जारी परिपत्र के दायरे में नहीं आते हैं। दिनांकित अपीलीय आदेश और अपील के तहत आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और यह निर्देश दिया गया है कि कार्यवाही के अनुसार दिनांकित कारण सूचना 21.03.2006 को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाए। प्रत्यर्थी को उक्त पर अपना जवाब देने का अधिकार होगा।

इस निर्णय की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर कारण बताएँ नोटिस और वह अपने मामले के समर्थन में ऐसी सामग्री रखने का भी हकदार होगा जिस पर वह भरोसा करना चाहता है। इसके बाद मामले को कानून के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा। [पारस 15,16] [598-ई-जी]

जी. के. एन. ड्राइवशाफ्ट्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी और अन्य (2003) 1 एस. सी. सी. 72: [2002] 4 पूरक। एस. सी. आर. 359; रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर 1987 (11) ईसीआर 287 (ट्राई। - मुंबई)

प्रतिष्ठित।

केंद्रीय आयोग के आयुक्त, हल्दिया बनाम। एम/एस। कृष्णा वैक्स (पी) लिमिटेड।

भारत संघ और एक अन्य v. गुवाहाटी कार्बन

लिमिटेड (2012) 11 एस. सी. सी. 651; मल्लादी ड्रग्स और

फार्मा लिमिटेड बनाम। भारत संघ 2004 (166) ईएलटी 153

(एस. सी.)-निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

[2002] 4 पूरक। एससीआर 359

प्रतिष्ठित

पै

रा 3

(2012) 11 एस. सी. सी. 651

उस पर भरोसा करें

पै

रा 12

2004 (166) ईएलटी 153 (एस. सी.)

उस पर भरोसा करें

पै

रा 13

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 8609

2019 से।

सीमा शुल्क के 31.05.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से,

आबकारी और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता की प्रधान पीठ ने आदेश सं। एफ. ओ./ए./75961/2017 अपील सं. ई/211/07

सुश्री निशा बागची, सुश्री बी. सुनीता राव, सुश्री पूजा शर्मा,

बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री क्रिस्टी जैन, पुनीत जैन, हर्षित खंडूजा, हर्ष जैन (के लिए)

सुश्री प्रतिभा जैन), प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, जे।

1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 एल के तहत यह अपील

(' अधिनियम ', संक्षेप में) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता (' न्यायाधिकरण ', संक्षेप में) द्वारा अपील सं. ई/211/07 यहाँ अपीलार्थी द्वारा पसंद किया गया है।

2. इस अपील को दायर करने वाले तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गतः

(a) 23.09.2005 पर पंजीकृत स्थान पर तलाशी ली गई थी।

उत्तरदाता के कार्यालय के साथ-साथ कारखाना परिसर इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों द्वारा

आयुक्तालय इस आधार पर कि प्रत्यर्थी

निर्मित पैर का तेल, दबा हुआ मोम, दबा हुआ पैराफिन अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बिना मोम और

उत्पाद शुल्क का निपटान। इसके तुरंत बाद, रिट याचिका सं।

2073 2005 का आदेश प्रत्यर्थी द्वारा [2019] 14 एस. सी. आर. के समक्ष दायर किया गया था।

न्यायालय की पूर्व रिपोर्ट

उच्च न्यायालय 1 ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत किया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त को मामले में आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि प्रतिवादी द्वारा कोई विनिर्माण गतिविधि नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.11.2005 के आदेश द्वारा निम्नानुसार निर्देश दियाः

" पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, मैं प्रतिवादी संख्या 1 को प्रारंभिक आपत्ति पर निर्णय लेने का निर्देश देकर इस याचिका का निपटारा करता हूं। के संबंध में याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाया गया

किसी भी अन्य निर्णय से पहले केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत मामले में आगे बढ़ने के लिए उत्तरदाताओं का अधिकार क्षेत्र

इस मामले में योग्यता के आधार पर मुद्दे।

चूंकि प्रतिवादियों की ओर से विपक्ष में किसी भी हलफनामे का उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए इस रिट याचिका में उक्त प्रतिवादियों के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को नहीं माना जाना चाहिए। स्वीकार किया गया माना जाता है "।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, हल्दिया के कार्यालय द्वारा 21.03.2006 पर एक कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ कहा गया था कि उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के संदर्भ में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त ने प्रारंभिक पर विचार किया था।

आपत्ति की और मामले में आगे बढ़ने का फैसला किया। इसने आगे कहा कि अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों से यह कहा गया है

ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रत्यर्थी द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और किसी भी उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना विनिर्माण गतिविधि की जा रही थी। यह देखा गयाः

" जबकि एम/एस। कृष्णा वैक्स (प्रा.) लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय क्लासिक टावर, 10 ए और 11 ए मंजिल, 56 गरियाहाट रोड, कोलकाता में है, ने कलकत्ता में उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका (2005 का No.2073) दायर की थी और एक आदेश प्राप्त किया था, जिसके तहत प्रतिवादी, अर्थात्, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त को

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत मामले में आगे बढ़ने के लिए अधिकार क्षेत्र के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति का निर्णय लेना

कलकत्ता में न्यायपालिका केंद्रीय आयोग के आयुक्त, हल्दिया वी।

/ एस. कृष्णा वैक्स (पी) लिमिटेड। [उदय उमेश ललित, जे।]

योग्यता और यह प्रत्यर्थी को प्रतीत होता है कि मामले को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत आगे बढ़ाया जा सकता है और जबकि यह नीचे उल्लिखित तथ्यों से प्रतीत होता है कि

एम/एस। कृष्णा वाज़ प्राइवेट लिमिटेड

विनिर्माण इकाई "पर।

उपरोक्त प्रारंभिक पाठों के बाद तथ्यों पर विचार किया गया

स्वाभाविक रूप से उत्तरदाता को कारण दिखाने के लिए कहा गया थाः

" i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क रुपये 1,56,31,712.00 (रुपये) क्यों? एक करोड़ छप्पन लाख इकतीस हजार सात सौ और

केवल बारह) 21 रुपये का शिक्षा उपकर, 007.00 (दो लाख रुपये)

केवल ग्यारह हजार सात जैसा कि अनुलग्नक-ए में विस्तृत है)

विस्तारित के तहत मांग और वसूली नहीं की जानी चाहिए

उक्त अधिनियम की धारा 11 ए का परंतुक?

(ii) उचित दर पर लागू ब्याज क्यों नहीं होना चाहिए?

उक्त अधिनियम की धारा 11 एबी के तहत आरोपित?

3.6 . "उक्त पक्ष" को सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

जिसे वे उसके बचाव के समर्थन में भरोसा करने का इरादा रखते हैं, जब मामला

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष सुनवाई की जाएगी।

3.7 "उक्त पक्ष" को यह भी सूचित करना चाहिए कि क्या वे चाहते हैं

व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुना जाए जब

मामले को सुनवाई के लिए रखा जाएगा।

(ग) प्रत्यर्थी ने फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

2006 की रिट याचिका संख्या 1719 दाखिल करना, जिसका निपटारा कर दिया गया था

उच्च न्यायालय द्वारा 27.11.2006 पर निम्नलिखित के साथ

टिप्पणियाँः

" कारण दर्शाओ नोटिस को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई है कि इस न्यायालय (पी. के. चट्टोपाध्याय, जे.) के दिनांकित एक आदेश के बावजूद प्रतिवादी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, चोरी रोधी इकाई के आयुक्त को प्रारंभिक निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए प्रतिवादियों के अधिकार क्षेत्र के बारे में आपत्ति जताई गई है।

ऐसा नहीं किया था। यह आरोप लगाया गया था कि प्रारंभिक निर्णय लिए बिना कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था।

याचिकाकर्ता की आपत्ति।

न्यायालय की पूर्व रिपोर्ट

श्री तरफदार ने मामले से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं की प्रारंभिक आपत्ति का निर्णय 15 मार्च, 2006 के एक आदेश द्वारा किया गया था। उक्त आदेश की एक प्रति

याचिकाकर्ता को तुरंत और किसी भी मामले में तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

याचिकाकर्तासभ तारीखसँ चारि सप्ताहक भीतर आक्षेपित कारण देखाउ नोटिस पर अपन जवाब प्रस्तुत करत। याचिकाकर्ताओं के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए संबंधित प्रत्यर्थियों के अधिकार क्षेत्र में आपत्ति लेने का अधिकार होगा।

अधिनियम, 1944। न्यायनिर्णयन की कार्यवाही होगी -

कानून के अनुसार और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में सख्ती से संचालित। रिट आवेदन का निपटान तदनुसार किया जाता है।

नतीजतन, दिनांकित आंतरिक आदेश की एक प्रति

15.03.2006 उत्तरदाता को प्रस्तुत किया गया था। कारण दर्शाओ नोटिस का कोई जवाब दाखिल किए बिना और अपने दिनांकित 27.11.2006 के आदेश में उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के अनुरूप पाठ्यक्रम को अपनाते हुए, प्रत्यर्थी ने चुना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील-I) कोलकाता के समक्ष उपरोक्त आंतरिक आदेश दिनांक 15.03.2006 को चुनौती देते हुए अपील No.01/HAL/07 दायर करें। यह प्रस्तुत किया गया था कि कोई विनिर्माण प्रक्रिया नहीं की जा रही थी

प्रत्यर्थी द्वारा किया गया। अपीलार्थी की ओर से एक आपत्ति ली गई थी कि अपील थी पूरी तरह से समय से पहले क्योंकि मामला अभी तक नहीं चला था

उत्तरदाता द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस का कोई जवाब दायर नहीं किया गया था और वास्तव में, संबंधित प्राधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था। अपीलीय प्राधिकरण द्वारा आपत्तियों को यह देखते हुए खारिज कर दिया गया कि आयुक्त से निचले रैंक के केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा अधिनियम के तहत पारित किसी भी आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। यह आगे निष्कर्ष निकाला गया कि प्रत्यर्थी द्वारा की गई प्रक्रिया के बराबर नहीं थी

निम्नानुसार उत्पादनः

मिशनर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, हल्दिया बनाम।इस्रा वैक्स (पी) लिमिटेड। [उदय उमेश ललित, जे।]

तेल को अलग कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मोम में तेल की मात्रा अधिक बनी हुई है। कच्चा माल और अंतिम उत्पाद दोनों ही तेल निर्माताओं को बेचे जाते हैं और स्नेहक निर्माता। शुल्क से भी उत्पाद के लिए कोई नई प्रविष्टि उद्धृत नहीं की जा सकती है। इस तरह से शामिल प्रक्रिया को निर्माण के लिए आकस्मिक नहीं कहा जा सकता है। विभाग यह साबित करने के लिए बोझ उठाने में विफल रहा है

उत्पादन "।

इस प्रकार अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निष्कासन की अनुमति दी गई थी

0.01.2007 .

दिनांकित निर्णय 15.03.2006 के समक्ष अपील योग्य था अधिनियम की धारा 35 के तहत आयुक्त (अपील) क्योंकि इसमें नागरिक परिणाम शामिल हैं। यह देखा गयाः

" 12. जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रक्रिया के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि प्रतिवादी ने अन्य के बीच सी. टी. एच. 27129090 और 27129090 के तहत सामग्री का आयात किया और राजस्व ने भी उसी टैरिफ आइटम के तहत संसाधित सामग्री को वर्गीकृत किया। हम पाते हैं कि उत्तरदाता-निर्धारिती द्वारा की गई पूरी प्रक्रिया मुख्य रूप से एक मैनुअल प्रक्रिया है और इसका मामूली उपयोग होता है।

प्रक्रिया में हाइड्रोलिक दबाव।

15. वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि आयातित स्लैक वैक्स, अवशिष्ट वैक्स ड्रम में अर्ध-ठोस रूप में होता है। फुट ऑयल अवशेष मोम या स्लैक वैक्स का हिस्सा है जो हल्का होने के कारण सतह पर आता है और ड्रम को झुकाकर साइफन किया जाता है। इस प्रकार फुट ऑयल नामक पतले स्लैक वैक्स को अलग किया जाता है। तरल द्वारा बनाया गया दबाव बाहर निकलने के उद्देश्य से छिद्र को हाइड्रोलिक दबाव के रूप में जाना जाता है। मूल रूप से, प्रसंस्कृत सामग्री आयातित सामग्री और राजस्व वर्गीकृत [2019] 14 एस. सी. आर. से निकल रही है।

उसी टैरिफ हेडिंग और सी. टी. एच. के तहत संसाधित सामग्री। माननीय उच्चतम न्यायालय और न्यायाधिकरण ने विभिन्न निर्णयों में कहा कि ऐसी प्रक्रिया को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 2 (च) के तहत निर्माण के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, हम ld के निष्कर्षों में बल पाते हैं। आयुक्त (अपील) "।

3. हमने सुश्री निशा बागची, विद्वान अधिवक्ता को उनके समर्थन में सुना

यह अपील और प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री क्रिस्टी जैन।

सुश्री बागची, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि

और इस मामले पर अपीलीय प्राधिकरण और न्यायाधिकरण द्वारा पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण से विचार किया गया था। उनके अनुसार, वर्तमान जैसे मामलों में, जहां विनिर्माण प्रक्रिया शुरू की गई थी और किसी भी उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना माल को मंजूरी दे दी गई थी, कारण दिखाएँ नोटिस में न केवल मूल मुद्दे को शामिल किया जाएगा कि क्या इस तरह से की गई प्रक्रिया निर्माण के लिए थी या नहीं, बल्कि परिणामी दायित्व भी, यदि विचाराधीन प्रक्रिया निर्माण के लिए थी; और निर्धारिती के लिए हमेशा दोनों मुद्दों को छूते हुए ऐसी प्रस्तुतियाँ करने के लिए खुला रहेगा; और उचित पाठ्यक्रम। कारण दर्शाओ नोटिस के अनुसार कार्यवाही को एक तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने की अनुमति दी जानी थी।

प्रत्यर्थी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री क्रिस्टी जैन ने प्रस्तुत किया कि 15.03.2006 दिनांकित आंतरिक आदेश में यह विचार लिया गया था कि

प्रक्रिया निर्माण के बराबर थी और इस तरह के मूल्यांकन पर प्रतिवादी को कोई सुनवाई किए बिना पहुंचा दिया गया था। उक्त आदेश ने प्रतिवादी के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया और प्रतिवादी था इसलिए 15.03.2006 दिनांकित आदेश को चुनौती देने का हकदार है। उनके अनुसार, उक्त आदेश दिनांक 15.03.2006 की उचित सेवा के बाद, प्रतिवादी उक्त आदेश को चुनौती देने के अपने अधिकारों के भीतर था। उसके समर्थन में

प्रस्तुत करते हुए, जी. के. एन. ड्राइवशाफ्ट्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता रखी गई थी। आयकर अधिकारी और अन्य 2 और

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में न्यायाधिकरण के निर्णय का। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर 3.

2 (2003) 1 एससीसी 72 3 1987 (11) ईसीआर 287 (ट्राई। - मुंबई)

केंद्रीय आयोग के आयुक्त, हल्दिया बनाम।

एम/एस। कृष्णा वैक्स (पी) लिमिटेड। [उदय उमेश ललित, जे।]

4. यह अधिनियम कानून को समेकित करने और संशोधित करने के लिए बनाया गया था।

उत्पाद शुल्क के केंद्रीय शुल्कों से संबंधित। अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि अधिनियम की चौथी अनुसूची में निर्धारित दरों पर भारत में उत्पादित या निर्मित सभी उत्पाद शुल्क पर निर्धारित उत्पाद शुल्क लगाया और एकत्र किया जाएगा। धारा 4 उत्पाद शुल्क के प्रभार के प्रयोजनों के लिए कर योग्य वस्तुओं के मूल्यांकन के विषय से संबंधित है और धारा 6 किसी व्यक्ति को, जो अन्य बातों के साथ-साथ किसी निर्दिष्ट वस्तु के उत्पादन या निर्माण में लगा हुआ है, उस तरीके से खुद को पंजीकृत करने के लिए बाध्य करती है जो निर्धारित किया जाए। धारा 11 ए

अधिनियम उन शुल्कों की वसूली से संबंधित है जो नहीं लगाए गए हैं या भुगतान नहीं किए गए हैं या कम लगाए गए हैं या कम भुगतान किए गए हैं या गलती से वापस किए गए हैं और निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" धारा 11 ए। शुल्कों की वसूली जो नहीं लगाई गई या भुगतान नहीं की गई या कम समय के लिए लगाया गया या कम समय के लिए भुगतान किया गया या गलती से वापस कर दिया गया।

(1) जहां उत्पाद शुल्क का कोई शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से वापस कर दिया गया है। धोखाधड़ी या मिलीभगत या किसी भी जानबूझकर गलत कथन या तथ्यों को दबाने या शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के कारण के अलावा,

(क) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, सुसंगत तिथि से एक वर्ष के भीतर, उस शुल्क के साथ प्रभार्य व्यक्ति को नोटिस देगा जो इस प्रकार नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या जो इतना कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है या जिसे धनवापसी गलती से की गई है, जिससे उसे कारण दिखाने की आवश्यकता है कि उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए; (ख) कर्तव्य के साथ प्रभार्य व्यक्ति, की सेवा से पहले कर सकते हैं

खंड (ए) के तहत नोटिस, के आधार पर भुगतान,

((i) अपने स्वयं के कर्तव्य का निर्धारण; या

((ii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा निर्धारित कर्तव्य।

शुल्क की राशि और उस पर देय ब्याज

धारा 11 एए।

(2) जिस व्यक्ति ने उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत शुल्क का भुगतान किया है, वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को लिखित रूप में ऐसे भुगतान के बारे में सूचित करेगा, जो ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर ऐसा नहीं करेगा।

[2019] 14 एस. सी. आर. के संबंध में उस उप-धारा के खंड (ए) के तहत किसी भी सूचना की तामील करें।

इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत इस तरह से भुगतान किए गए शुल्क या कोई जुर्माना।

(3) जहां केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी की राय है कि उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत भुगतान की गई राशि वास्तव में देय राशि से कम है, तो वह उस उप-धारा के खंड (ए) में प्रदान की गई राशि के संबंध में नोटिस जारी करने के लिए आगे बढ़ेगा जो उस उप-धारा के तहत निर्दिष्ट तरीके से वास्तव में देय राशि से कम है और एक वर्ष की अवधि की गणना उप-धारा (2) के तहत जानकारी प्राप्त करने की तारीख से की जाएगी।
(4) जहां उत्पाद शुल्क का कोई शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम कर दिया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से वापस कर दिया गया है,

((क) धोखाधड़ी; या ((ख) संलिप्तता; या

(ग) कोई जानबूझकर गलत कथन; या

((घ) तथ्यों का दमन; या

(ई) भुगतान से बचने के इरादे से इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन

कर्तव्य,

शुल्क के साथ प्रभार्य किसी भी व्यक्ति द्वारा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, संबंधित तिथि से पाँच साल के भीतर, सेवा करेगा।

ऐसे व्यक्ति को नोटिस जिसमें उसे कारण दिखाने की आवश्यकता है कि वह धारा 11 एए के तहत देय ब्याज और नोटिस में निर्दिष्ट शुल्क के बराबर जुर्माने के साथ नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करे।

(5) (7) छोड़ दिया गया 4 (7 क) उप-धारा (1) या उप-धारा (3) या उप-धारा (4) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, किसी भी धारा के तहत दिए गए किसी भी नोटिस या नोटिस के बाद सेवा कर सकता है।

उन उप-धाराओं का, जैसा भी मामला हो, एक विवरण, जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क का विवरण है जो नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम किया गया है बाद के लिए लगाया गया या कम भुगतान किया गया या गलती से वापस कर दिया गया

2015 का अधिनियम 20।

केंद्रीय आयोग के आयुक्त, हल्दिया बनाम।

आई/एस। कृष्णा वैक्स (पी) लिमिटेड। [उदय उमेश ललित, जे।]

अवधि, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए प्रभार्य व्यक्ति पर, तो, ऐसे विवरण की सेवा को उपरोक्त उप-धारा (1) या उप-धारा (3) या उप-धारा (4) या उप-धारा (5) के तहत ऐसे व्यक्ति पर नोटिस की सेवा माना जाएगा, इस शर्त के अधीन कि बाद की अवधि के लिए आधारों पर भरोसा किया गया है -

जैसा कि पहले के नोटिस या नोटिस में उल्लेख किया गया है।

(8) जहां किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा सूचना की सेवा पर रोक लगाई जाती है, वहां ऐसी रोक की अवधि को, यथास्थिति, उप-धारा (1) के खंड (ए) में निर्दिष्ट एक वर्ष या उप-धारा (4) में निर्दिष्ट पांच वर्ष की अवधि की गणना करने में बाहर रखा जाएगा।

(9) जहाँ कोई अपीलीय प्राधिकरण या न्यायाधिकरण या न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि उप-धारा (4) के तहत जारी किया गया नोटिस इस कारण से टिकाऊ नहीं है कि धोखाधड़ी या मिलीभगत या किसी भी जानबूझकर के आरोप

जिस व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया था, उसके खिलाफ शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का गलत बयान या तथ्यों का दमन या उल्लंघन स्थापित नहीं किया गया है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा देय उत्पाद शुल्क का निर्धारण करेगा। एक वर्ष की अवधि के लिए, यह मानते हुए कि सूचना उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत जारी की गई थी।

(10) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद, और ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, ऐसे व्यक्ति से देय उत्पाद शुल्क की राशि निर्धारित करेगा जो सूचना में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं है।

(11) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी उप-धारा (10) के तहत उत्पाद शुल्क की राशि निर्धारित करेगा।

(क) नोटिस की तारीख से छह महीने के भीतर

उप-धारा (1) के अधीन आने वाले मामले;

(ख) अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर, जहां ऐसा करना संभव है, उप-धारा (4) के तहत आने वाले मामलों के संबंध में।

(12) जहां अपीलीय प्राधिकरण या न्यायाधिकरण या न्यायालय केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा निर्धारित उत्पाद शुल्क की राशि को संशोधित करता है। उप-धारा (10) के तहत अधिकारी, तब इस धारा के तहत दंड और ब्याज की राशि को तदनुसार संशोधित किया जाएगा,

इस प्रकार संशोधित उत्पाद शुल्क की राशि को ध्यान में रखते हुए।

(13) जहां अपीलीय प्राधिकरण या न्यायाधिकरण या न्यायालय द्वारा संशोधित राशि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा उप-धारा (10) के तहत निर्धारित राशि से अधिक है, वह समय जिसके भीतर इस अधिनियम के तहत ब्याज या जुर्माना देय है, उस बढ़ी हुई राशि के संबंध में अपीलीय प्राधिकरण या न्यायाधिकरण या अदालत के आदेश की तारीख से गिना जाएगा। (14) जहां इस धारा के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा उत्पाद शुल्क निर्धारित करने का आदेश पारित किया जाता है, तो उत्तरदायी व्यक्ति

उक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए इस प्रकार निर्धारित राशि का भुगतान ऐसी राशि पर देय ब्याज के साथ किया जाएगा, चाहे ब्याज की राशि अलग से निर्दिष्ट की गई हो या नहीं।

(15) जहां देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है या आंशिक भुगतान या गलती से धनवापसी नहीं की गई है, वहां उप-धारा (1) से लेकर 14 तक के प्रावधान ब्याज की वसूली पर लागू होंगे।

(16) इस धारा के प्रावधान ऐसे मामले में लागू नहीं होंगे जहां भुगतान नहीं किए गए या कम भुगतान किए गए शुल्क के दायित्व का स्व-मूल्यांकन किया जाता है और निर्धारिती द्वारा आवधिक विवरणी में देय शुल्क के रूप में घोषित किया जाता है।

उसके द्वारा दाखिल किया गया, और ऐसे मामले में, भुगतान न करने या शुल्क के अल्प भुगतान की वसूली ऐसी तरीके से की जाएगी जो हो सके

निर्धारित किया गया।

स्पष्टीकरण 1. - इस धारा और धारा के प्रयोजनों के लिए

11 एसी,

(क) "धनवापसी" में उत्पाद शुल्क की छूट शामिल है।

भारत से बाहर निर्यात की जाने वाली वस्तुएँ या उन वस्तुओं के निर्माण में उपयोग की जाने वाली उत्पाद शुल्क सामग्री जो भारत से बाहर निर्यात की जाती हैं।

भारत;

(ख) "सुसंगत तिथि" का अर्थ है -

(i) उन उत्पाद शुल्क के मामले में जिन पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है, और इस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा आवश्यक कोई आवधिक विवरणी दाखिल नहीं की गई है, अंतिम तिथि जिस पर इस अधिनियम के तहत ऐसी विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता है।

और उसके तहत बनाए गए नियम;

((ख) उन उत्पाद शुल्क के मामले में जिन पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम समय के लिए लगाया गया है या कम समय के लिए भुगतान किया गया है और विवरणी दाखिल की गई है, जिस तारीख को ऐसी विवरणी दाखिल की गई है; केंद्रीय शुल्क आयुक्त, हल्दिया v.

((ग) किसी अन्य मामले में, वह तिथि जिस पर इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत उत्पाद शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है;

((iv) ऐसे मामले में जहां इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत उत्पाद शुल्क का अस्थायी रूप से आकलन किया जाता है, अंतिम मूल्यांकन के बाद शुल्क के समायोजन की तारीख;

(v) उत्पाद शुल्क के मामले में, जिस पर उत्पाद शुल्क की गलती से वापसी की गई है, ऐसी वापसी की तारीख;

((vi) उस मामले में जहां केवल ब्याज की वसूली की जानी है, शुल्क के भुगतान की तारीख जिससे ऐसा ब्याज संबंधित है।

((ग) छोड़ दिया गया।

व्याख्या 2: - शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कोई गैर-शुल्क, अल्प शुल्क, गैर-भुगतान, अल्प-भुगतान या

जिस तारीख को वित्त विधेयक, 2015 प्राप्त होता है, उससे पहले राष्ट्रपति की सहमति, के प्रावधानों द्वारा शासित होगी

वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित धारा 11 ए।

5. इस प्रकार धारा 11 ए गैर-लेवी और उत्पाद शुल्क के गैर-भुगतान सहित विभिन्न पहलुओं से संबंधित है और एक शो जारी करने पर विचार करता है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा कारण सूचना की आवश्यकता होती है कि "शुल्क के साथ प्रभार्य व्यक्ति" कारण बताए कि "उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए"। उक्त धारा 11 ए की उप-धारा 10 के संदर्भ में, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

सीमाएँ और वे परिस्थितियाँ जिनके तहत कारण बताएँ नोटिस दिया जा सकता है जारी किए जाने पर, मामले का सार यह है कि इस तरह का निर्धारण कारण बताएँ नोटिस जारी करने के बाद होता है, जिसके बाद संबंधित व्यक्ति द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व, यदि कोई हो, पर विचार किया जाता है।

6. यदि की गई प्रक्रिया या गतिविधि की राशि नहीं है -

विनिर्माण या यदि क्षेत्र धारण करने वाली छूट की किसी भी योजना के तहत लाभ सहित किसी भी कारण से कोई शुल्क देय नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति के लिए कारण बताएँ नोटिस के जवाब में कोई भी प्रतिनिधित्व करते समय इस तरह के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए हमेशा खुला रहेगा। विभिन्न प्रकार के मामले हो सकते हैं जैसे कि विचाराधीन प्रक्रिया निर्माण के बराबर नहीं है और यदि ऐसा होता है, तो माल [2019] 14 एस. सी. आर. का लाभ उठाने का हकदार होगा।

किसी भी प्रचलित छूट का लाभ; या कि शुल्क उस दर से कम दर पर प्रभार्य होगा जिस दर पर इसे कारण दिखाएँ नोटिस में निर्धारित किया गया था या कि संबंधित व्यक्ति द्वारा निर्मित माल की मात्रा किसी भी तरह से शो में दी गई राशि से कम थी।

कारण सूचना, या कि किसी भी छूट का लाभ उपलब्ध कराना होगा आदि। इस तरह के सभी संभावित प्रस्तुतियों को हमेशा आगे बढ़ाया जा सकता है और कारण बताएँ नोटिस जारी करने के अनुसार सुनवाई के दौरान विचार किया जा सकता है। 7. हालांकि, धारा 11 ए की योजना में इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि कोई भी कारण बताएँ नोटिस जारी करने से पहले, प्रथम दृष्टया, होना चाहिएः (ए) एक प्रारंभिक निर्धारण कि प्रक्रिया या गतिविधि

इस मामले में किया गया कार्य निर्माण के बराबर है और (बी) इस तरह के प्रारंभिक निर्धारण पर पहुंचने से पहले, संबंधित व्यक्ति को कोई भी सुनवाई करने पर विचार किया जाता है। दूसरे शब्दों में, विभिन्न चरणों में मामले का कोई पृथक्करण नहीं है और मामले की सभी संभावित रूपरेखाओं में शामिल है कि क्या विचाराधीन प्रक्रिया निर्माण के लिए है या नहीं, कारण बताए जाने के नोटिस की प्रतिक्रिया पर विचार करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए। मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के बाद ही धारा 11 ए की उप-धारा 10 के तहत अंतिम निर्धारण किया जाना है। 8. कानून की नजर में धारा 11 ए के तहत कारण बताएँ नोटिस जारी करने का भी कुछ महत्व है। जिस दिन कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया जाता है, वह सीमा के मुद्दे सहित विभिन्न मुद्दों के लिए गणना की तारीख बन जाती है। यदि हम प्रत्यर्थी के इस कथन को स्वीकार करते हैं कि विभाग द्वारा प्रथम दृष्टया विचार किया गया है कि मामले को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं, तो इसे निर्णय या निर्धारण के रूप में लिया जाना है, यह सीमा की अवधि सहित अधिनियम की धारा 11 ए के विभिन्न प्रावधानों के कामकाज में असंतुलन पैदा करेगा। यह हिसाब लगाना मुश्किल होगा कि किस तारीख से सीमा को गिना जाना है।

9. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी ने खुद को पंजीकृत नहीं किया था और उन उत्पादों पर कोई उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं कर रहा था जो वह था

विनिर्माण। विभाग द्वारा पंजीकृत कार्यालय और प्रत्यर्थी के कारखाने परिसर में की गई तलाशी से कुछ सामग्री बरामद हुई, जिसके आधार पर विभाग इस मामले पर विचार कर रहा था। उस स्तर पर, एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा 28.11.2005 पर एक आदेश पारित किया गया था जिसमें अपीलार्थी को यह तय करने का निर्देश दिया गया था कि क्या योग्यता के आधार पर किसी अन्य मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले विभाग को मामले में आगे बढ़ने का अधिकार क्षेत्र था।

जैसा कि केंद्रीय आयोग के आयुक्त ने कहा है, हल्दिया बनाम।

एम/एस। कृष्णा वैक्स (पी) लिमिटेड। [उदय उमेश ललित, जे।]

ऊपर, अधिनियम के प्रावधानों में इस तरह के किसी भी प्रथम दृष्टया निर्धारण पर विचार नहीं किया गया है और यह आवश्यक है कि इस तरह के निर्धारण की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को प्रस्तुत की जाए और केवल

इसके बाद मामले में आगे बढ़ना। फिर भी, चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था, विभाग ने इस तरह के निर्देश के सम्मान में मामले पर विचार किया और 15.03.2006 दिनांकित एक आंतरिक आदेश द्वारा।

प्रथम दृष्टया एक राय दर्ज की गई कि अधिनियम के तहत अधिकारियों के पास मामले में आगे बढ़ने का अधिकार क्षेत्र था। चूँकि अधिनियम के प्रावधान किसी भी प्रथम दृष्टया निर्धारण पर विचार नहीं करते हैं जो होना चाहिए

संबंधित व्यक्ति को सूचित किया गया, विभाग उचित था

आंतरिक व्यवस्था को अपने दम पर संप्रेषित न करने में। अगले अवसर पर उच्च न्यायालय द्वारा मामले का सही आकलन किया गया था जब

10. 15.03.2006 दिनांकित आंतरिक आदेश का संचार केवल उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सम्मान में था। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह कहा जाना चाहिए कि न तो अधिनियम किसी ऐसे प्रथम दृष्टया निर्धारण पर विचार करता है जिसे केवल तभी सूचित किया जाना चाहिए जिसके बाद कार्यवाही शुरू की जा सके और न ही ऐसा पाठ्यक्रम था। विभाग द्वारा अपने दम पर किया गया। इसलिए, केवल इसलिए कि आंतरिक आदेश प्रत्यर्थी को सूचित किया गया था, यह प्रत्यर्थी को उक्त आंतरिक आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण नहीं देगा। उक्त आंतरिक आदेश का संचार केवल उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के पालन में था। यह एक नहीं था

निर्णय या निर्धारण जो धारा 11 ए की उप-धारा 10 के संदर्भ में किया गया था। इसलिए प्रत्यर्थी उक्त आंतरिक आदेश दिनांक 15.03.2006 के खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकता था। अपीलीय प्राधिकरण के साथ-साथ न्यायाधिकरण, हमारे विचार में, इस बुनियादी अंतर को समझने में पूरी तरह से विफल रहे।

11. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 11 ए के तहत कारण बताएँ नोटिस जारी करते समय, विभाग द्वारा केवल इस पर विचार किया जाता है

एक प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण, जिसके आधार पर कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया जाता है। निर्णय प्रतिक्रिया या प्रतिनिधित्व के बाद ही आता है।

जिस व्यक्ति को कारण बताए जाने का नोटिस दिया जाता है, उसे प्राथमिकता दी जाती है। अपनी प्रतिक्रिया के एक हिस्से के रूप में, संबंधित व्यक्ति सभी संभावित मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकता है और उसके बाद ही संकल्प या [2019] 14 एस. सी. आर.

निर्णय लिया जाता है। वर्तमान मामले में प्रतिक्रिया से पहले ही

पूर्व-परिपक्व। 12. इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि उत्पाद शुल्क कानून अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और यह आम तौर पर एक के लिए उपयुक्त नहीं होगा

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका पर विचार करने के लिए रिट कोर्ट और यह कि संबंधित व्यक्ति को पहले उस प्राधिकरण के समक्ष सभी आपत्तियां उठानी चाहिए जिसने कारण दर्शाएं नोटिस जारी किया था और कानून के मौजूदा प्रावधानों के संदर्भ में निवारण का सहारा लिया जा सकता है यदि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित किया गया था। उदाहरण के लिए

भारत संघ और एक अन्य बनाम गुवाहाटी कार्बन लिमिटेड

निष्कर्ष निकाला; "उत्पाद शुल्क कानून उत्पाद शुल्क मामलों में निवारण की मांग करने के लिए एक पूर्ण संहिता है और इसलिए रिट अदालत के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका पर विचार करना उचित नहीं हो सकता है", जबकि मल्लाडी ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड बनाम. भारत संघ ", यह देखा गयाः

" ..... उच्च न्यायालय ने, विवादित निर्णय द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी को पहले प्राधिकरण के समक्ष सभी आपत्तियां उठानी चाहिए जिन्होंने कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया है और किसी भी प्रतिकूल मामले में

अपीलार्थी के खिलाफ आदेश पारित किया जाता है, फिर स्वतंत्रता दी जाती है

उच्च न्यायालय तक पहुँचने के लिए।

..... हमारे विचार में, उच्च न्यायालय खारिज करने में बिल्कुल सही था

मात्र कारण दर्शाने के नोटिस के विरुद्ध रिट याचिका "।

इस प्रकार यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि रिट याचिका पर आम तौर पर केवल कारण बताएँ नोटिस जारी करने के खिलाफ विचार नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में कोई कारणदर्शक नोटिस भी जारी नहीं किया गया था जब उच्च न्यायालय ने शुरू में याचिका पर विचार किया था और विभाग को प्रथम दृष्टया कार्रवाई करने का निर्देश दिया था

इस बात पर विचार करें कि क्या मामले को आगे बढ़ाने के लिए कोई सामग्री थी।

5 (2012) 11 एस. सी. सी. 651 6 2004 (166) ईएलटी 153 (एस. सी.)

केंद्रीय आयोग के आयुक्त, हल्दिया बनाम।

एम/एस। कृष्णा वैक्स (पी) लिमिटेड। [उदय उमेश ललित, जे।]

इस तरह की सूचना जारी करने के उनके कारण। ऐसी आवश्यकता की पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने कहा थाः

उचित समय के भीतर कारण। कारण प्राप्त होने पर, नोटिस प्राप्तकर्ता नोटिस जारी करने पर आपत्तियां दर्ज करने का हकदार होता है और मूल्यांकन अधिकारी एक बोलने का आदेश पारित करके इसका निपटारा करने के लिए बाध्य होता है। तत्काल मामले में, जैसा कि इन कार्यवाहियों में कारणों का खुलासा किया गया है, मूल्यांकन अधिकारी को आपत्तियों का निपटान करना होगा, यदि दायर किया जाता है, तो एक बोलने का आदेश पारित करके, मूल्यांकन के संबंध में आगे बढ़ने से पहले

ऊपर बताए गए पाँच मूल्यांकन वर्ष। "

"

रिलायंस इंडस्ट्रीज Ltd.[3] के मामले में न्यायाधिकरण का निर्णय भी पूरी तरह से अलग संदर्भ में था। का आदेश

कलेक्टर दिनांक 03.03.1986 जो उस मामले में अपील का विषय था, उस दौरान व्यक्तिगत सुनवाई का एक रिकॉर्ड था

बनाए रखने योग्य। विशिष्टता यह है कि विभाग द्वारा निर्णय की कार्यवाही के दौरान यह सूचित किया गया था, जबकि वर्तमान मामले में विभाग द्वारा ऐसा कोई संचार नहीं किया गया था। विभाग अपने दम पर और 19.03.2016 दिनांकित आदेश किसी भी निर्णय कार्यवाही का हिस्सा नहीं था। अधिनियम की धारा 11 ए के तहत कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद ही कार्यवाही शुरू हुई होगी।

14. हमें इस स्तर पर एक ऐसे पहलू का उल्लेख करना चाहिए जिसे मामले में निर्णय सुरक्षित रखने के बाद पेश किया गया था। एक आवेदन दाखिल करके

निदेशों के लिए, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (न्यायिक प्रकोष्ठ) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.08.2019 पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया था, जिसका प्रासंगिक भाग निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 आर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 के माध्यम से सेवा कर पर लागू करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड निम्नलिखित मौद्रिक सीमाएँ [2019] 14 एस. सी. आर. निर्धारित करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिसके तहत सी. ई. एस. टी. ए. टी., उच्च न्यायालयों में अपील दायर नहीं की जाएगी।

और सर्वोच्च न्यायालय।

एस. नहीं। अपीलीय मंच

मौद्रिक सीमा

1 .

सी. ई. एस. टी. टी.

Rs.50,00,000 /

उच्च न्यायालय

रु. 1,00,00,000 /

2 .

सुप्रीम कोर्ट

3 .

रु. 2,00,00,000 /

2. यह निर्देश केवल विरासत के मुद्दों यानी मामलों पर लागू होता है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित, और इन पर लागू होगा

लंबित मामले भी।

3. उपरोक्त लंबित मामलों के संबंध में निकासी प्रक्रिया फोरम, उपरोक्त संशोधित सीमाओं के अनुसार, वर्तमान का पालन करेंगे

मुकदमों को वापस लेने के लिए अपनाई जा रही प्रथा

उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और सी. ई. एस. टी. ए. टी. अन्य सभी शर्तें

और संबंधित पहले के निर्देशों की शर्तें जारी रहेंगी आवेदन करें।

4. यह ध्यान दिया जा सकता है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े मुद्दे से अनुदेश dt 17.08.2011 के पैराल 1.3 में वर्णित कानून

F.No.390/विविध/163/2010-जे. सी. का चुनाव बिना किसी फर्क के लड़ा जाएगा

निर्धारित मौद्रिक सीमाएँ।

15. वर्तमान मामले में, कोई मूल्यांकन और गणना नहीं की गई थी

किसी भी कर्तव्य तत्व का। मामला कारण दर्शाओ नोटिस से आगे नहीं बढ़ा था। मामले में प्रश्न इस दृष्टिकोण की शुद्धता से संबंधित थे कि क्या मामले में कोई निर्णय था और क्या प्रत्यर्थी के कहने पर अपील बनाए रखने योग्य थी। हमारे विचार में मामले में शामिल मुद्दे सख्ती से उपरोक्त परिपत्र की सीमा के भीतर नहीं आते हैं।

16. इसलिए हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, अपीलीय आदेश को दरकिनार कर देते हैं

दिनांक 10.01.2007 और अपील के तहत आदेश और निर्देश दें कि दिनांक 21.03.2006 के कारण दिखाएँ नोटिस के अनुसार कार्यवाही की जाए।

तार्किक निष्कर्ष तक। प्रत्यर्थी को तारीख से तीन सप्ताह के भीतर उक्त कारण बताए जाने के नोटिस का जवाब देने का अधिकार होगा।

इस निर्णय का और इस पर ऐसी सामग्री रखने का भी हकदार होगा

जिसे वह अपने मामले के समर्थन में निर्भरता रखना चाहता है। इसके बाद मामले को कानून के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा।

17. उपरोक्त मदों में अपील की अनुमति है। कोई लागत नहीं।

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे